सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय (एन एस –IV)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (NS-IV)
जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा
JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE, NHAVA-SHEVA
तालुका -उरण, जिला रायगड/ TALUKA-URAN, DISTRICT- RAIGAD, MAHARASHTRA- 400 707

F.No. S/12-Gen-38/2015-16 AM(X) **दिनांक/Date: 03.02.2016**

सार्वजनिक सूचना/ PUBLIC NOTICE No. 14 / 2016

विषय : निर्यात माल के पूर्ण और सही विवरण की घोषणा-संबन्धित I

Subject: Declaration of complete and correct description of Export Goods- reg.

******

निर्यातकों एवं सीमाशुल्क ब्रोकरों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं 42/2010दिनांक 7.04.2010 और संख्या 75/2011 दिनांक 05.05.2011 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निर्यात माल के त्वरित आकलन और निकासी हेतु शिपिंग बिल में निर्यात माल की सही और पूर्ण घोषणा की महत्ता पर ज़ोर दिया गया है। हालांकि, इस बात पर कई बार अनुरोध किया गया है और दोहराया भी गया है, फिर भी मूल्यांकन महानिदेशालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि आंकड़ों की गुणवत्ता में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

Attention of Exporters and Customs Brokers is invited to Public Notices No. 42/2010 dated 07-04-2010 and 75/2011 dated 05-05-2011 wherein it has been stressed that the declaration of correct and complete description of export goods in Shipping Bills is essential for speedy assessment and clearance of Export Goods. Though, it has been requested and reiterated times and again, a study conducted by Directorate General of Valuation shows that there is no significant improvement in data quality.

2- यह देखा गया है कि शिपिंग बिल / इन्वाइस में दर्शाये गए माल के विवरण या तो अपूर्ण, अस्पष्ट, हैं या संघटक, ग्रेड, विन्यास, डेनियर , जी एस एम, आकार, प्रकार, ब्रांड, मशीन या हाथ से बना या कोई कारक/मानक जिससे माल की कीमत पर इसका असर पड़ता हो ऐसे विशेष गुण प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। यह भी पाया गया है कि एक जैसे विवरण वाले माल के दामों में बड़े पैमाने में मूल्य अंतर दिखाई दे रहा है और इस मूल्य विभेद के लिए किसी भी प्रकार का क्वालिटी/ कारण का विवरण नहीं दिया गया है।

It has been observed that description of goods mentioned in the Shipping Bills / invoices are either incomplete, vague or does not contain specific details such as composition, grade, configuration, denier, GSM, size, type, brand, machine / handmade or any other factor/ parameters having its bearing on the value of goods. It has also been observed that goods being declared of same description are having large price variation and no specific quality / reason are being mentioned in the description field to justify such price variation.

3- इस बात पर पुनः ज़ोर दिया जाता है कि मूल्य को प्रभावित करने वाले मापदंडों सहित माल की संरचना, ग्रेड, विन्यास, डेनियर, जीएसएम, आकार, प्रकार, ब्रांड, मशीन / हस्तनिर्मित वस्तुएं आदि का सम्पूर्ण एवं सत्य घोषणा, शिपिंग बिल और निर्यात इन्वाइस में की जानी चाहिए ।

It is again emphasized that the detailed, complete and correct description of goods including parameters having a bearing on value, viz, composition, grade, configuration, denier, gsm, size, type, brand, machine / handmade, other special attributes, etc., should be declared in the Shipping Bills and export invoices.

4. अत: सभी निर्यातकों/ सीमाशुल्क ब्रोकर्स के ध्यान में लाया जाता है कि वे माल के महत्वपूर्ण पैरामीटर', जो माल के मूल्यांकन पर असर डालते हैं, और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के मानकों के स्टैंडर्ड यूनिट क्वान्टिटी (यू.सी.क्यू.) कोड सहित शिपिंग बिल में निर्यात माल का पूर्ण ब्योरा घोषित करें। निर्धारित मानदंडों से विचलन के कारण माल की निकासी में देर/ या निर्यात संवर्धन लाभ का रद्दीकरण और परिणामस्वरूप अहम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

It is, therefore, brought to the notice of all the Exporters / Customs Brokers that they are required to declare complete description of the export goods in the shipping bills, including vital parameters which influence the valuation of the goods with the correct and prescribed Standard Unit Quantity Codes (UQC) as per the Customs Tariff Act, 1975. Deviation from the prescribed norms may lead to delayed clearance and / or cancellation of export promotion benefits as well as consequential penal actions.

5. इसे प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त, एनएस –जी & एनएस-II की सहमति से जारी किया जाता है।

This issues with the concurrence of the Pr. Commissioner of Customs; NS-G & NS-II.

Sd/-
[सुभाष अग्रवाल SUBHASH AGARWAL]
सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

F.No. S/12-Gen-38/2015-16 AM(X) **दिनांक/Date: 03.02.2016**

<u>सार्वजनिक सूचना/ PUBLIC NOTICE No. 14 / 2016</u>

विषय : निर्यात माल के पूर्ण और सही विवरण की घोषणा-संबन्धित I

Subject: Declaration of complete and correct description of Export Goods- reg.

Copy to:

1.PA to the Principal Chief Commissioner of Customs, Mumbai Zone-II.
2.The Pr. Commissioner of Customs, NS-Gen/NS-II.
3.The Commissioner of Customs NS-IV
4.The Addl. /Joint Commissioner of Customs, NS-II, NS-IV and NS-Gen.
5.All the Dy. / Asstt. Commissioner of Customs, NS-II, NS-IV and NS-Gen.
6.Notice Board and Website.

(J. SATEESH CHANDAR)
Dy. Commissioner of Customs,
Appraising Main (Export)